

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

देवेन्द्र कुमार

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा :-अपील अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट
व 2013/00082

मु.नं. एवं सन 13/13

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए |
|----------------|--|---|
| 30.01.2020 | <p>पत्रावली पे 1 हुई। उपस्थित राजपेरोकार ने प्रस्तुत अपील में अपीलांट के उपस्थित नही होने व अराजीराज दर्ज भूमि के लिए अपील के जरिये अनुतोश प्राप्त करने का प्रयत्न कानूनी रूप से सही नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों व बहस पैरोकार पर मनन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त इंतकाल आदे 1 नियमानुसार पारित किया गया था तथा अपीलांट उपस्थित भी नहीं हैं अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फौल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|